

AUTHENTICATED

(JAIRAM RAMESH)
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
DEPARTMENT AND
FOREIGN AFFAIRS

RECEIVED 11 FEB 2011



(जैराम रमेश/JAIRAM RAMESH)
मन्त्री राज्य (स्वतंत्र उत्तरदायक)
विदेश और पर्यटन

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]
No. 261]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

का.आ. 303(अ).—पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए प्रारूप-नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षाानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 714(अ), तारीख 26 मार्च, 2010 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 31 मार्च, 2010 को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 में,—

(क) "समिति का गठन" शब्दों के पश्चात् "तीन वर्षों की अवधि के लिए" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(ख) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) जनता का एक प्रतिनिधि जो मानवतावादी हो या क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्ति व्यक्ति जिसे पशु कल्याण का अनुभव हो।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) समिति को क्रियाकलापों को लोक सूचना में उद्घोषणा और विज्ञापनों के द्वारा लाएगी।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) उक्त परिश्रेत्र की मानीटरी समिति पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए कम से कम प्रत्येक मास में बैठक करेगी।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 के, उप-नियम (6) में, "अन्य संस्थाओं" शब्दों के स्थान पर, "अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. 27-2/2009-एडव्यूडी]

अंजनी कुमार, निदेशक (पशु कल्याण)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. का.आ. 1256(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2001, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।